प्र.पी.-239

D-399

II--157
C.J.

Witness No. 02 for 164 Statement Deposition taken

the 09/04/2015 day of Thursday Witness's apparent age 40 yrs.

States on affirmation my name is Vikrant Singh Makhija

son of Indrajeet Singh Makhija occupation Technical Asst.

address Akaltara, Dist-Janjgir (C.G.)

समय–4:30 बजे

1– मैं 2008 में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में जांजगीर एवं बिलासपुर जिले में पदस्थ था । अक्टूबर, 2014 को मेरी पदोन्नति हुई थी । दिसम्बर, 2014 से मै तकनीकी सहायक के रूप में अकलतरा जिला–जांजगीर में पदस्थ हूँ ।

2– राईस मिलर खाद्य विभाग की अनुमति के बाद मार्कफेड से धान उठाते है और राईस मिलर का मार्कफेड से अनुबंध होता है कि धान लेने के पश्चात् एक निश्चित मात्रा में चावल नागरिक आपूर्ति विभाग व भारतीय खाद्य विभाग को जमा किया जावेगा ।

3– जब राईस मिलर्स द्वारा चावल नान में जमा किये जाने हेतु लाया जाता है तब मेरे द्वारा एवं अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार चावल है या नहीं की जॉच करने के पश्चात् चावल को गोदामों में जमा कराया जाता है । नागरिक आपूर्ति निगम के केन्द्र प्रभारी द्वारा चावल जमा करने का स्वीकृति पत्र राईस मिलर को दिया जाता है । इसके बाद राईस मिलर मार्कफेड से पुनः धान उठाता है और पुनः यह प्रकिया दोहरायी जाती है । यह प्रकिया तब तक चलती रहती है जब तक अनुबंध में उल्लेखित धान की मात्रा जमा कर दी जावे ।

4– छत्तीसगढ़ में जांजगीर जिले में धान एवं चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है । नान के गोदामो में चावल के भंडारण हेतु स्थान बनाने के लिए प्रत्येक मिलर से 9/– रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जिला प्रबंधक द्वारा रूपए लिये जाते है । जिला प्रबंधक उक्त राशि को सब व्यापारियों से इकट्ठा करने के पश्चात् उसे मुख्यालय में भेजते है । मेरी जानकारी के अनुसार उक्त राशि विभिन्न अधिकारियों में बॅटती है ।

6– जनवरी माह के अंतिम दिन दीनदयाल अग्रवाल मेरे पास आए और मुझे कहा कि धमतरी से चावल की रैग अकलतरा आने का प्रस्ताव है । इस संबंध में हमारे द्वारा मुख्यालय जाकर अधिकारियों से बात की गयी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है । प्रबंध संचालक की अनुमति के बगैर एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन नहीं हो सकता है । यदि हमारे चावल को नहीं लिया जावेगा तो नुकसान होगा, आप इस संबंध में बात करे ।

7– मैने मेरे निजी मोबाईल नंबर 98271–29271 से शिवशंकर भट्ट के मोबाईल नंबर 93036–78423 पर बात की और उन्हें मैने कहा कि धमतरी

P.T.O.

से अकलतरा में चावल का रेक लगना है क्या उसका डेस्टिनेशन या जगह चेंज हो सकती है क्या । राईस मिलर दीनदयाल अग्रवाल आये थे और उन्होंने इसके लिए 50,000/– रूपए देने की बात कही है । भट्ट साहब ने मुझे कहा कि रेक डायवर्ट कराने का प्रयास करता हूँ और उनहोंने मुझे यह भी बताया कि पूर्व जिला प्रबंधक ए.पी. पाण्डेय द्वारा लगभग 4 महिनों का कलेक्शन मुख्यालय को नहीं भेजा गया है इसलिए एम.डी. साहब नाराज है ।

8– मैने उन्हें बताया कि वर्तमान जिला प्रबंधक श्री जितेन्द्र निगम के कलेक्शन के हिसाब क्लियर है तथा जनवरी माह का 2,00,000/– रूपए एडवांस भी निगम साहब को दे दिया है । इस पर भट्ट ने मुझे कहा कि पुराने हिसाब को लेकर एम.डी. टुटेजा साहब नाराज है और उन्होंने कहा कि जब मेरा ट्रांसफर होगा तब लिखकर जाउँगा कि पाण्डेय को कभी जिला प्रबंधक न बनाया जावे तब मैने भट्ट साहब से कहा कि मैने 10–15 राईस मिलर से इस संबंध में बातचीत की है तो उन्होनें कहा कि हिसाब क्लियर है। भट्ट साहब ने मुझे कहा कि राईस मिलर से कहो कि पाण्डेय को दिया गया पैसा वापस लो इसकी वजह से राईस मिलर का रेपुटेशन खराब हो गया है । निगम साहब को 2,00,000/– रूपए एडवांस देने की बात तथा हिसाब क्लियर होने की बात मैने शिवशंकर भट्ट को मेरी जानकारी के हिसाब से कही थी ।

9– मैने भट्ट साहब से कहा कि जांजगीर जिले में अकलतरा का नाम ले रहे है तब भट्ट साहब ने कहा कि पूरे जिले के हिसाब की बात कर रहे है और 50,000/– रूपए लेकर पाण्डेय जी आएँ थे, मैने कहा कि इतने से बात नहीं बनेगी और पैसा वापस कर दिया और पाण्डेय को कहा कि लिस्ट बनाकर दो कि किस राईस मिलर ने कितना कलेक्शन दिया और चावल जमा किया है और कितनों ने कलेक्शन नहीं दिया है और उनका कितना चावल जमा है इसका मिलान करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हिसाब में गड़बड़ी किसने की है ।

10– उसी दौरान कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में बातचीत चल रही थी और मेरा स्थानांतरण कुछ दिनों पूर्व ही जांजगीर जिले में हुई थी इसलिए मैने सावधानी बरतते हुए कहा कि मैने अभी कुछ दिन पूर्व ही जांजगीर जिले में किया है, मेरा स्थानांतरण न किया जावे, इस संबंध में एम.डी. साहब से चर्चा कर ले ।

11– इसके बाद मेरी जानकारी में दीनदयाल अग्रवाल ने शिवशंकर भट्ट को 50,000/– रूपए नहीं दिए और कुछ ही दिनों बाद ए.सी.बी. द्वारा कार्यवाही कर दी गयी ।

नोट :– मैने कथनकर्ता विकांत सिंह मल्हीजा पिता–इन्द्रजीत सिंह मल्हीजा को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता विकांत सिंह मल्हीजा से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर–दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढकर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है । उसके द्वारा किए गए कथन का पुरा एवं सही वृतांत है ।

वाचित/स्वीकृत

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

True Copy

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—FS/59—5/2012—4,00,000.